कार्यालयः— जनपद न्यायाधीश कासगंज।

कोटेशन —सूचना

एतदद्वारा सर्व—साधारण को सूचित किया जाता है, कि माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज के स्वीकृत आदेश दिनांकित 11.11.2024 के द्वारा शासनादेश दिनांकित 12.08.2016 के द्वारा स्वीकृत संस्थाओं से जनपद न्यायालय कासगंज के अन्तर्गत कार्यरत सिविल मद सं0 105—03—08—कार्यालय व्यय की उपमद—14 बस्ता क्रय में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से अनुदान प्राप्त होने के सापेक्ष अभिलेखागार दीवानी एवं फौजदारी न्यायलयों से सम्बन्धित पत्रावलियों को सुरक्षित रखने हेतु प्रयुक्त होने वाले लाल रंग 1000 नग ,पीले रंग 500 नग एवं नीले रंग 300 नग के बस्ते का कपड़ा साईज 1.15X1.15 मी0 कुल 1800 नग क्रय किये जाने के सम्बन्ध में अधिकृत फर्मो से कोटेशन आमंत्रित किये जाते है उक्त अधिकृत फर्मो को कोटेशन के लिये दी गयी शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा।

1— कोटेशन बंद लिफाफे में जनपद न्यायाधीश कासगंज के कार्यालय केन्द्रीय नजारत कासगंज में दिनांक **10.12.2024** तक (कार्यालय समय 10.00 बजे से 4.00 बजे तक) अंतिम रूप से स्वीकार किये जायेगे।
2—कोटेशन दिनांक **10.12.2024** को सायंकाल 4.45 बजे क्रय समिति जनपद न्यायायल कासगंज के समक्ष खोले जायेगे।
3— किसी भी कोटेशन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज का होगा।
4— किसी भी कोटेशन को बिना कोई कारण बताये माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
5—कोटेशन खोलने के समय फर्म का एक प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है।
6—कोटेशन में दिये गये मूल्य के अतिरिक्त कोई भी भुगतान जैसे किराया इत्यादि अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।
7— भुगतान आपूर्ति प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जायेगा विलम्ब होने पर कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
8—कोटेशन में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय का छेत्राधिकार जनपद न्यायालय कासगंज में होगा।
9—कोटेशन खोलने के उपरान्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
10—कोटेशन से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी कार्यालय केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय कासगंज से किसी भी कार्य दिवस में समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक ली जा सकती है।

दिनांक— .11.2024

(अनुतोष कुमार शर्मा)
अध्यक्ष क्रय समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0—1
कासगंज।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01—जिला सूचना अधिकारी कासगंज को G.O.No.562/ उन्नीस—2—2007—1007(T.C) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त सीनीय समाचार पत्रों में निःशुल्क कराये जाने एवं सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु।

02— 18 न्यायायल कक्ष भवन जजी कासगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

03—कलेक्ट्रेट कासगंज के सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु।

04—समस्त सार्वजनिक स्थान कासगंज पर चस्पा करने हेतु।

05—नोडल अधिकारी कंप्यूटर को जनपद न्यायालय कासगंज एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

दिनांक— .11.2024

Anutosh 11-11-24

(अनुतोष कुमार शर्मा)
अध्यक्ष क्रय समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0—1
कासगंज।